मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-09.03.2016 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहुत की गई है। अतः सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में समयादेश (एक सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना प्रावैद्यिकी विभाग, निगरानी विभाग एवं ऊर्जा विभाग के द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों को ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि बिहार राज्य के विरुद्ध प्रत्येक माह जितने नये मामले दायर किए जाते है, उससे अधिक संख्या में प्रतिशपथ पत्र दायर करने का प्रयास सभी विभागों द्वारा किया जाना चाहिए। गत माह बिहार राज्य के विरुद्ध 980 नये मामले दायर किए गए जबकि मात्र 812 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। कम मात्रा में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने पर मुख्य सचिव के द्वारा चिंता व्यक्त किया गया।

3. गत् माह पंचायती राज विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं शिक्षा विभाग के द्वारा उनके विरुद्ध दायर CWJC के नये मामलों के अपेक्षा कम मामलों में ही प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में CWJC के 101 नये मामले दायर किए गए जबकि मात्र 8 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा बताया गया कि गत् माह सर्टिफिकेट केस से संबंधित अधिक मामले दायर हुए हैं, जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह शिक्षा विभाग में CWJC के 296 नये मामले दायर किए गए जबकि मात्र 206 में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। पंचायती राज विभाग में CWJC के 90 नए मामले दायर हुए हैं, जिनमें मात्र 36 में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को शेष लंबित मामलों में अगली बैठक के पूर्व निश्चित रूप से प्रतिशपथ-पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया।

4. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा परिवहन विभाग में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित MJC के मामलों पर चर्चा किया गया। परिवहन विभाग में MJC के 26 मामले प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित हैं। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस संदर्भ में चिंता व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु निर्देश दिया गया।

5. **वैसे विभाग जहां अधिक संख्या में मामलें प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित हैं उनके द्वारा विभागवार अधिवक्ताओं की नियुक्त करने हेतु पूर्व आयोजित बैठकों में मुख्य सचिव, बिहार से अनुरोध किया गया था। मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा वर्तमान विधान सभा सत्र समाप्त होने के पश्चात् सभी विभागों में विभागवार अधिवक्ताओं की नियुक्ति करने का आश्वासन दिया गया।**

8. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। CWJC के मामलों में **सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, निबंधन उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग, श्रम संसाधन विभाग** शामिल हैं। इसी प्रकार MJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले

विभागों में **शिक्षा विभाग, कृषि विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग** शामिल है। मुख्य सचिव बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई।

9. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC एवं MJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। CWJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग** शामिल हैं। इसी प्रकार MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों में **परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग एवं पंचायती राज विभाग** शामिल है। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा लंबित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया।

10. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा वैसे विभाग जहाँ CWJC/MJC के सर्वाधिक मामले प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित है पर चर्चा किया गया। CWJC के मामले में **शिक्षा विभाग (1380 मामले), स्वास्थ्य विभाग (701 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (499 मामले), पंचायती राज विभाग (254 मामले) एवं निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (158 मामले)** शामिल है। इसी प्रकार MJC के मामले में **स्वास्थ्य विभाग (118 मामले), शिक्षा विभाग (111 मामले), परिवहन विभाग (26 मामले), कृषि विभाग (15 मामले) एवं पथ निर्माण विभाग (12 मामले)** शामिल है। प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

17/3/16

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/...1932...जे0 पटना, दिनांक ...18/03/16

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.3.16

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।